न्यायालयः सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद।

उपस्थितः अनिल कुमार–X, (उच्चतर न्यायिक सेवा)

सत्र परीक्षण सं०.....426/2024

(कंप्यूटर रजि० नं० 1042/2024)

सरकार बनाम बाबू खान उर्फ कबाड़ी आदि

अंतर्गत धारा–147,148,307/149,323,332,336, 353,504, 506 भा०द०सं० एवं 7 क्रि०लॉ०एमे०एक्ट

थाना–कोतवाली गाजियाबाद।

मु0 अ 0 सं0–944/2011

आरोप

मैं, अनिल कुमार–X, सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद आप अभियुक्तगण बाबू खान उर्फ कबाड़ी, मेहराज, शेरखान, रियाजुद्दीन, आमिर खान, मिटठन, सलीम, इस्लामुददीन, मौ० तसलीम, परवेज एवं फिरोज को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करता हूँ–

प्रथमः यह कि दिनांक 27.12.2011 को समय 11.30 बजे रात्रि स्थान दावत रेस्टोरेन्ट नया बस अड्डा के पास, थाना कोतवाली चौकी क्षेत्र नया बस अड्डा अंतर्गत सीमा थाना कोतवाली नगर जिला गाजियाबाद में आप अभियुक्तगण ने अन्य साथियों के साथ मिलकर विधि विरूद्ध जमाव कर सामान्य उद्देश्य को अग्रसरित करते हुए बलवा करने के लिए अवैध समूह का निर्माण किया। इस प्रकार आपने भा0 द 0 सं0 की धारा–147 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीयः यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने अन्य साथियों के साथ मिलकर सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में उक्त अवैध समूह का निर्माण कर घातक आयुधों से सुसज्जित होकर बलवा कारित किया। इस प्रकार आपने भा0 द 0 सं0 की धारा–148 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

तृतीयः यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने अन्य साथियों के साथ मिलकर एकराय होकर सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में पुलिस बल को जान से मारने की नीयत से पुलिस बल पर तमंचों से फायर किए तथा ईंट पत्थरों से हमला किया। आपके द्वारा इस आशय, ज्ञान व परिस्थिति में पुलिस बल पर फायर किए गए कि यदि आपके द्वारा किए गए फायर से पुलिस बल के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती तो आप अभियुक्तगण हत्या के अपराध के दोषी होते। इस प्रकार आपने भा0 द 0 सं0 की धारा–307/149 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

चतुर्थः यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने अन्य साथियों के साथ सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में एकराय होकर पुलिस बल पर लाठी, डंडो एवं पत्थरों से मार–पीट कर चोटें पहुंचाकर स्वेच्छया उपहति कारित की। इस प्रकार आपने भा0 द 0 सं0 की धारा–323 सपठित धारा–149 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

पंचमः यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण द्वारा अन्य साथियों के साथ मिलकर पुलिस बल को उनके कर्तव्य से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छया उपहति कारित की गयी। इस प्रकार आपके द्वारा भा०द०सं० की धारा–332 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

षष्ठमः यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में आप अभियुक्तगण द्वारा अन्य साथियों के साथ मिलकर पुलिस बल के साथ मारपीट कर उक्त कार्य इतने उतावलेपन या उपेक्षा से किया गया जिससे पुलिस बल के जीवन अथवा वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो सकता था।

Digitally signed by ANIL KUMAR
Date: 2025.01.16 16:22:11 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

इस प्रकार आपने भा0 द 0 सं0 की धारा–336 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

सप्तमः यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण द्वारा अन्य साथियों के साथ मिलकर पुलिस बल द्वारा अपनी अभिरक्षा में लिए गए दो लोगों को छुड़ाने हेतु पुलिस बल को अपने कर्तव्य के निर्वहन से भयोपरत करने के लिए पुलिस बल पर हमला किया गया। इस प्रकार आपके द्वारा भा०द०सं० की धारा–353 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

अष्टमः यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने अन्य साथियों के साथ मिलकर लोक शांति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से पुलिस बल को गाली गलोच देकर अपमानित किया। इस प्रकार आपने भा0 द 0 सं0 की धारा–504 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

नवमः यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने अन्य साथियों के साथ मिलकर पुलिस बल को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कायम किया। इस प्रकार आपने भा0 द 0 सं0 की धारा–506 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

दशमः यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने अन्य साथियों के साथ मिलकर पुलिस बल पर घातक हथियारों से सुसज्जित होकर बलवा कारित किया तथा सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की। उक्त घटना से जनता भयभीत हो गयी तथा अफरा–तफरी का माहौल व्याप्त हो गया।इस प्रकार आपने क्रिमिनल लॉ एमेडमेन्ट एक्ट 1932 की धारा–7 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद् द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त आरोपों के संदर्भ में आप अभियुक्तगण का परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

दिनांक 16.01.2025

(अनिल कुमार–X)
सत्र न्यायाधीश
गाजियाबाद।

आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाए व समझाए गए। अभियुक्तगण ने आरोपों से इंकार किया तथा परीक्षण की मांग की।

(अनिल कुमार–X)
सत्र न्यायाधीश
गाजियाबाद।

दिनांक 16.01.2025